5रु. कोर्ट फीस Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5रु. कोर्ट फीस Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
20रु. कोर्ट फीस Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

114

निग-841-I-16

न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2016 रिव्यू

हेमंत जुनेजा पुत्र हरिवंशलाल जुनेजा निवासी – बजरिया मोहल्ला अशोकनगर म.प्र.

——— आवेदक

बनाम

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प अशोकनगर
2. नारायण प्रसाद पुत्र मिश्रीलाल सोनी निवासी – चौधरी मोहल्ला अशोकनगर
3. पवन कुमार जैन एन.एल. जैन
4. श्रीमती नीलम पत्नी पवन कुमार जैन निवासी – प्रोसेसन रोड अशोकनगर म.प्र.

——— अनावेदकगण

श्री लखन सिंह धाकड़ एडवो. द्वारा आज दि. 10/03/16 प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

10/3/16

रिव्यू अन्तर्गत धारा 51(1) म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायायलय मान. राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर सदस्व श्री एम.के. सिंह के प्र.क. 1360/II/2015 में पारित आदेश दिनांक 18.12.2015 के विरूद्ध रिव्यू प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय

आवेदक की ओर से रिव्यू आवेदन पत्र निम्न प्रकार पेश है :–

1. यह कि, आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रक. 133/11–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 11.03.2015 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की है। उक्त अपील के लंबित दौरान उभयपक्ष के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने के कारण प्रकरण में आदेश दिनांक 18.12.2015 से राजीनामा के आधार आदेश पारित किया है परन्तु उक्त आदेश के पहले अपीलान्ट द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसका आदेश में कोई उल्लेख नहीं होने से उक्त शपथपत्र की प्रमाणित प्रतिपिलि नहीं मिल पा रही है। इस कारण आदेश में शपथपत्र का उल्लेख किया जाना न्यायोचित होगा।

2. यह कि, अनावेदक क. 2 द्वारा राजीनामा आवेदन पत्र दिनांक 17.12.2015 के साथ एक प्रथक से शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें राजीनामा की समस्त शर्तें उल्लेखित हैं। इस कारण शपथपत्र का उल्लेख राजीनामा आदेश में किया जाना न्यायाचित है। यदि उक्त शपथ पत्र का उल्लेख नहीं किया गया तो राजीनामा आदेश विफल हो जावेगा और उक्त शर्तों का उल्लंघन हो जाने के कारण राजीनामा आदेश

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक– रिव्यू 841–एक/16 जिला – अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14–3–16	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एल.एस.धाकड़ एवं अनावेदक क. 3 एवं 4 की ओर से अधिवक्ता श्री एस. पी. धाकड़ उपस्थित । उनके तर्क ग्राह्यता पर सुने गये उनके द्वारा बताया गया है कि मूल प्रकरण निगरानी कमांक 1360–दो/15 में उभयपक्ष द्वारा राजीनामे आधार पर प्रकरण समाप्त किए जाने का अनुरोध किया गया था किंतु त्रुटि वश राजीनामे का उल्लेख नहीं हो पाया है । अतः यह पुनरावलोकन स्वीकार करते हुए तदनुसार आदेश पारित किया जाये । 2/ प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया । उनके द्वारा प्रस्तुत तर्क की पुष्टि मूल प्रकरण में प्रस्तुत आवेदन से होती है, जिसमें उनके द्वारा उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होने का उल्लेख करते हुए प्रकरण समाप्त किए जाने का अनुरोध किया गया है । राजीनामे आवेदन के साथ उनके द्वारा शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया है । दर्शित परिस्थिति में उनका अनुरोध स्वीकार किया करते हुए यह निर्देश दिए जाते हैं कि मूल प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामा आदेश का अंग रहेगा । उक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण इसी स्तर पर निराकृत किया जाता है । सदस्य	14/03/16